संख्या-99/2021/371 /23-9-2020-07नाबार्ड(स0मा0)/2018

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय- अनुदान सं0-83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्ग कार्य हेतु आवंटित/लैप्स धनराशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1048/5ए, दिनांक 21.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत नाबार्ड योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-65/2020/288/23-9-2020-12नाबार्ड(स0मा0)/2019टीसी, दिनांक 19.03.2020 द्वारा जनपद गोरखपुर के स्वीकृत 01 कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 79.41 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में आवंटित धनराशि रू0 35.73 लाख की धनराशि आहरित न की जा सकने के कारण लैप्स हो जाने की सूचना देते हुए उक्त लैप्स धनराशि पुनः आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन पूर्व में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत् उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित सूची में उल्लिखित 01 कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 79,41,000/ (रूपये उन्यासी लाख इकतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 35,73,000/-(रूपये पैंतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दि0	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	03/20 तक आवंटित धनराशि	लैप्स धनराशि	जिलाधिकारीगण द्वारा की गयी मांग	वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गोरखपुर	वौठापानी टंकी से सोनाई बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	65 20/20/288/ 23-9-2020-12नाबार्ड(स0मा0)/2019टीसी, दि0 19.03.2020	1.000	79.41	35.73	35.73	35.73	35.73

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट एवं गुणवत्तायुक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्तव्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-971-दस/2021, दिनांक 25 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

3- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्य / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ / वित्त नियंत्रंक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/3 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।

8- संबंधित अधिशासी अभियन्ता / कोषाधिकारी ।

9- लोक निर्माण अनुभाग-10।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।